**भारत सरकार**

**कृषि मंत्रालय**

**कृषि एवं सहकारिता विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 1092**

**23 मार्च, 2012 को उत्‍तरार्थ**

**विषय: राष्‍ट्रीय किसान आयोग की सिफारिश**

**1092 श्रीमती हेमा मालिनी:**

**श्री प्रभात झा:**

क्‍या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्‍या यह सच है कि राष्‍ट्रीय किसान आयोग ने देश के किसानों को 4 प्रतिशत की ब्‍याज दर पर कर्ज देने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है;

(ग) क्‍या सरकार ने राष्‍ट्रीय किसान आयोग की सिफारिश को लागू कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्‍या कारण है ?

**उत्‍तर**

**कृषि एवं खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (डॉं. चरण दास महन्‍त)**

**(क) से (ड.):** राष्‍ट्रीय किसान आयोग ने राष्‍ट्रीय किसान नीति के अपने संशोधित मसौदे में सिफारिश की है कि ब्‍याज दर यथासंभव निम्‍न होनी चाहिए ।

सरकार वर्ष 2006-07 से किसानों को 3 लाख रु0 तक की मूलधन राशि के फसल ऋण 7% की ब्‍याज दर पर उपलब्‍ध करा रही है । वर्ष 2009-10 में सरकार ने उन किसानों, जो अपने लघु अवधि फसल ऋण समयानुसार चुकाते हैं, को 1% अतिरिक्‍त छूट प्रदान की थी । फसल ऋणों के समय पर भुगतान के लिए अतिरिक्‍त छूट वर्ष 2010-11 में 1 % से बढ़ाकर 2 % कर दी गई एवं वर्ष 2011-12 में यह और बढ़ाकर 3 % कर दी गई है । इस प्रकार ऐसे किसान जो अपने फसल ऋण बैंको द्वारा निर्धारित समय पर चुकाते हैं, के लिए वर्ष 2011-12 के दौरान प्रभावी ब्‍याज दर 4 % वार्षिक रह जाती है । किसानों को तत्‍परता से ऋण चुकाने के लिए उपलब्‍ध 3% की अतिरिक्‍त छूट के साथ 7 प्रतिशत वार्षिक ब्‍याज दर पर लघु अवधि फसल ऋण प्रदान करने की ब्‍याज छूट स्‍कीम को वर्ष 2012-13 में जारी रखा गया है ।

----------